

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

24 जुलाई, 2019 (ई०)

बुधवार, तिथि-

[षोडश-सत्र]

02 श्रावण, 1941 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना। (यदि हो)
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य

- (04)- श्रीमती सीमा देवी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-23.07.2019 से स्थगित)

- (05)- श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-23.07.2019 से स्थगित)

- (06)- सर्वश्री नागेन्द्र महतो, भानू प्रताप शाही एवं डॉ० जीतू चरण राम, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, योजना सह वित्त विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अलसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-23.07.2019 से स्थगित)

कृ०पृ०उ०/-

- (07)- डॉ० इरफान अंसारी, श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी एवं श्रीमती निर्मला देवी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-23.07.2019 से स्थगित)
- (08)- श्री आलमगीर आलम, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- (09)- श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- (10)- श्री कुणाल षडंगी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- (11)- श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- (12)- श्री भानू प्रताप शाही, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च एवं तकनीक शिक्षा विभाग)की ओर से वक्तव्य।

समितियों का गठन

- (13)- झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन। (यदि हो)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (14)- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार द्वारा झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 की धारा-40(5)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 2018 की अधिसूचना की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
- (15)- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-115 के उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारखाना (झारखण्ड संशोधन) नियमावली, 2019 की अधिसूचना की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
- (16)- कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बउरी द्वारा भारत के संविधान की धारा-323(2) में किए गये प्रावधान के अधीन झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से प्राप्त वित्तीय वर्ष-2016-17 (अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 तक) की एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (17)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना। (यदि हो)
- (18)- याचिकाओं का उपस्थापन। (यदि हो)

--: विधायी-कार्य :-

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019

- (19)- मंत्री प्रभारी(उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि“झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (20)- मंत्री प्रभारी(उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (21)- मंत्री प्रभारी(उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019”पर विचार हो।
- (22)- मंत्री प्रभारी(उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019”स्वीकृत हो।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019

- (23)- मंत्री प्रभारी (श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग) श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि“ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन)(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (24)- मंत्री प्रभारी (श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग)श्री राज पलिवार, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (25)- मंत्री प्रभारी(श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग) श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि“ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019”पर विचार हो।
- (26)- मंत्री प्रभारी (श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग) श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि“ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन)(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019”स्वीकृत हो।
- (27)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य। (यदि हो)

महेन्द्र प्रसाद


सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कू०पू०३०/-

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०१९-१६६३./वि०स०,राँची,दिनांक-....२३.१.१९.....

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/
माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/
महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(गुरुचरण सिंह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०१९-१६६३./वि०स०,राँची,दिनांक-....२३.१.१९....

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय
कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।




उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०१९-१६६३./वि०स०,राँची,दिनांक-....२३.१.१९....


प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/
पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

राजेन्द्र


२३.१.१९